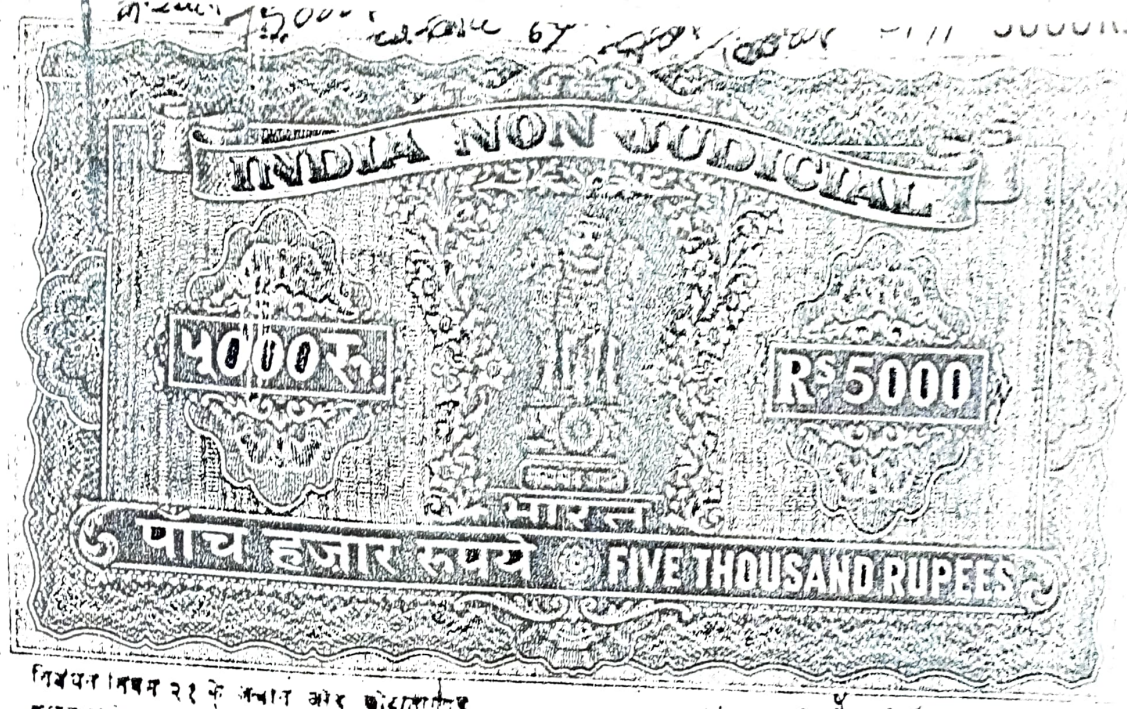

25
16/11

निबंधन नियम २१ के अधीन और कोर्ट शुल्क कानून एक्ट की धारा ... और रजिस्ट्रेशन एक्ट १९०८ की अनुसूची-१(क) संख्या 23 के स्थान स्टाम्प लगाया गया है (स्टाम्प लगाने के निमित्त या टिकट शुल्क लिया नहीं है।

ता० .... 16-11-2000 निबंधन पदाधिकारी 16/11/2000

By Declaration No 317 dt 16.11.2000 ... 16.11.2000 ... दिनांक 28.10.2000 ... 3245 ... सत्यापित तथा ...

Fee Paid

A	1500.00
N	54.00
	1554.00
Sale	2.50
Post	94
	3.44
	1557.44

रसी.ता. 16/11

विक्रेता :-श्रीमती वासन्ती द्विवेदी, पति श्री बृज किशोर द्विवेदी, जाति- ब्राह्मण, पेशा-गृहस्थी, साकिन-सरायढेला, थाना एवं जिला-धनबाद, हाल साकिन-19 ए. कामिनीविलास रोड कलकत्ता 700019 के तरफ से आममुख्तार श्री गौतम कुमार चटर्जी, पिता श्री दिलिप कुमार चटर्जी, जाति-ब्राह्मण, पेशा-कारोबार, साकिन-पिराजोड़ा हिरापुर, थाना एवं जिला-धनबाद, आम-मुख्तार संख्या-3162, दिनांक-8.11.2000 निबंधन कार्यालय कलकत्ता ।

क्रेता :- श्री अजीत प्रसाद, पिता श्री ज्वाला प्रसाद, जाति-कलवार, पेशा-नौकरी, साकिन-नारायणपुर, थाना एवं जिला-धनबाद ।

...2

5000Rs.

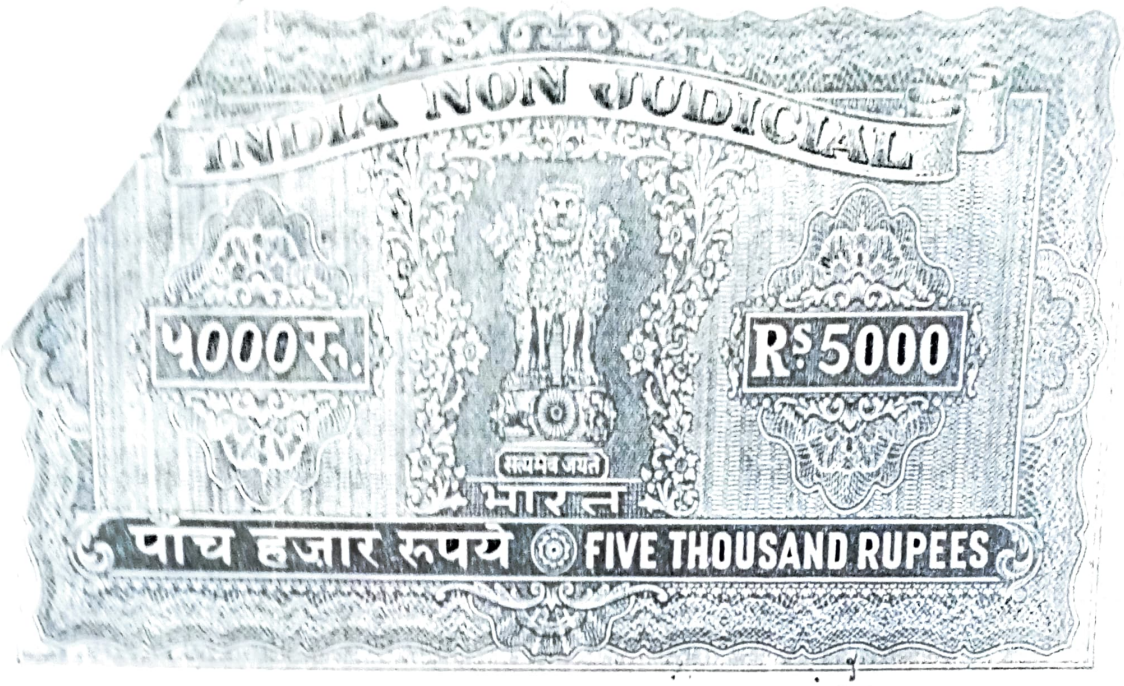

Gautam Kumar Chatterjee
16.11.2K

बिक्रय पत्र {केवाला दस्तावेज} ।

सम्पत्ति का मुल्य-75,000/- {पंचहत्तर हजार रूपये मात्र} ।

सलाना मालगुजारी-50 पैसा {पचास पैसा} मात्र ।

अंचल कार्यालय धनबाद ।

मालिक जमिन्दार झारखंड सरकार ।

विबरण जायदाद :- जिला अवर निबंधन कार्यालय धनबाद, थाना धनबाद, के अन्तर्गत नारायणपुर उर्फ पिपराबेड़ा मौजा मे मेरा कायेमी रैयती खास दखली खरिदा सम्पत्ति है । जिसका मौजा नं0-13, खाता नं0-31, प्लौट नं0-288, {दो सौ अठासी} रकबा-5 कादठा {पांच कादठा} यानि 8.25, डिसमिल {आठ दशमलव पच्चीस डिसमिल} जमीन मय खपरैल मकान के साथ बिक्री किया, जिसका कुर्सी क्षेत्र 100 बर्गफीट {एक सौ बर्गफीट} ।

..3

:- 3 -:

जिसका चौहद्दी:-उत्तर-इसी प्लॉट का अंश । दक्षिन-प्रस्तावित रास्ता । पुरब-इसी प्लॉट का अंश । पश्चिम-इसी प्लॉट का अंश ।

उक्त जायदाद धनबाद सदर निबंधन कार्यालय के निबन्धीकृत 10885 नं0 केवाला दस्तावेज द्वारा कुसुमविहार सहकारी गृहनिर्माण समिति लिमिटेड से खरीदा हुआ, थोका नं0-445 है । उपरोक्त 10885 नं0 केवाला दस्तावेज दिनांक-9.12.87 ई0 के धनबाद निबंधन कार्यालय के निबन्धीकृत है ।

मुल एवं द्वितीयक दस्तावेज के साथ एक-एक प्रतिलिपि नकशा नत्थी किया गया है, एवं विक्रीत स्थान को लाल रंग से रंगाकर दर्शाया गया है ।

उक्त सम्पत्ति अंचल अधिकारी धनबाद, ज्ञापांक-3249, दिनांक-28.10.2000 के द्वारा भु-सत्यापन एवं मुल्य निर्धारित किया गया है ।

..4

Gautam Kumar Chatterji
16.11.24

:- 4 -:

चूँकि बिबरण यह है कि बिक्रेता को सांसारिक खर्च के लिए रूपये की अति आवश्यकता आ पड़ी है । इसलिए बिवरण में दिये गये जायदाद बिक्री किये बिना रूपये की बन्दोबस्त होना कठीन था । इसलिए उपरोक्त जायदाद को बिक्री करने की घोषणा कि एवं क्रेता से प्रार्थना करने पर बिबरण में दिये गये जायदाद खरीदने को राजी हुवें, एवं दोनो पक्षो की मशावारा से उक्त जायदाद की मुल्य-75,000/- (पचहत्तर हजार रूपये मात्र) तय होने पर उक्त मुल्य में ही बिक्रेता ने बिबरण में दिये गये जायदाद बिक्री करने चाहें, तथा आज बिक्रेता ने क्रेता से नगद-75,000/- (पचहत्तर हजार रूपये मात्र) लेकर बिबरण में दिये गये जायदाद बिक्री कर हमेशा के लिए निः स्वत्व हुवें, एवं क्रेता को दखलकार किया तथा दखल दिया।

बिक्रेता का जिस तरह का हक-अखतीयार, दावी-दावा था, आज तारिख से क्रेता को हुआ । क्रेता, जायदाद पर मकान, आँगण, कुँआ, बगान-बगिचादि तैयार कर निज बसबास या किराया बन्दोबस्त कर अपना ईच्छानुसार दान, बिक्री, रेहनादि मनमाना कर सकते है । इससे बिक्रेता या बिक्रेता के वंशज को कभी किसी तरह का उजुर या एतराज न होगा, अगर करें तो कानुनन बातिल और नामंजुर होगा ।

उपरोक्त जायदाद का दाखिल-खारिज के संबंध में बिक्रेता को जो कुछ भी क्रेता के मदद करना पड़े वह बिना उजुर करेंगे । बिक्री जायदाद की सलाना मालगुजारी मालिक जमिन्दार झारखंड सरकार को बराबर अदा देकर बिक्रेता के नाम कटवाकर क्रेता अपना नाम से दाखिल-खारिज करवा कर मालगुजारी की रसीद हासिल करेंगे ।

बिक्री जायदाद बिक्रेता के खास दखल में है, कभी किसी तरह

...5

..2